न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
16 / 13 / 2024	2024 / 74	04.09.2024	22.01.2026

1. रतनलाल पुत्र ईसर उर्फ ईश्वर जाति चमार निवासी तूलेडा तहसील व जिला अलवर।
2. रत्तीराम पुत्र ईसर उर्फ ईश्वर जाति चमार निवासी तूलेडा तहसील व जिला अलवर।
3. रामलाल पुत्र ईसर उर्फ ईश्वर जाति चमार निवासी तूलेडा तहसील व जिला अलवर।
4. श्रीमती रतनी पुत्री ईसर उर्फ ईश्वर पत्नि प्रभाती जाति चमार निवासी तूलेडा तहसील व जिला अलवर।
5. बीना उर्फ सुक्की पुत्री ईसर उर्फ ईश्वर पत्नि नानग जाति चमार निवासी तूलेडा तहसील व जिला अलवर हाल निवासी पिनान तहसील रैणी जिला अलवर।
   वारिसान काबिज जायदाद ईसर उर्फ ईश्वर पुत्र मानसिंह व जयकौर पत्नि ईसर उर्फ ईश्वर–मृतक

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. कैलाश पुत्र साधुराम जाति ब्राह्मण निवासी तूलेडा तहसील व जिला अलवर।
2. सरोज पुत्री साधुराम जाति ब्राह्मण निवासी तूलेडा तहसील व जिला अलवर।

—अप्रार्थीगण

अपील विरूद्ध निर्णय आदेश नायब तहसीलदार अलवर दिनांक 31.10.1979 इंतकाल संख्या 483

उपस्थितः—

01. श्री जगदीश सैनी, पिंकी सैनी —वकील प्रार्थीगण
02. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल —वकील अप्रार्थीगण

—:: निर्णय ::—

यह अपील अपीलाण्टान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.1979, जिसके द्वारा इंतकाल संख्या 483 तस्दीक किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम तूलेडा, तहसील अलवर स्थित आराजी खसरा नंबर गत 598 रकबा 5 बीघा, हाल खसरा नंबर 917 रकबा 5 बीघा, वर्तमान खसरा नंबर 1879 रकबा 1.23 हैक्टेयर अपीलाण्टान के पिता ईसर उर्फ ईश्वर पुत्र मानसिंह (जाति चमार–अनुसूचित जाति) के गैर–खातेदारी की भूमि रही है। अपीलाण्टान का कथन है कि वे उक्त भूमि पर काबिज–दखिल चले आ रहे हैं। उक्त भूमि का पट्टा / खातेदारी अधिकार रेस्पोन्डेंट्स के पिता स्व. साधुराम (जाति ब्राह्मण) के पक्ष में सनद पट्टा सं. 542 / 135 दिनांक 24.03.1975 क्रम सं. 241 दिनांक 28.03.1975 के आधार पर जारी दर्शाकर, नायब तहसीलदार अलवर द्वारा दिनांक 31.10.1979 को इंतकाल संख्या 483 साधुराम के पक्ष में तस्दीक कर दिया गया। इसी इंतकाल को चुनौती देते हुए यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि उक्त आराजी खसरा नंबर गत 598 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नंबर 917 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर, का पट्टा गलत तरीक पर साधुराम के नाम जारी किया गया जिसके तहत साधुराम को गैर खातेदार से खातेदारी मुताबिक सनद पटटा नंबर 542 135 पुर्न. 16(41) 78–79 दिनांक 24.03.1975 तहसील क्रमांक 241 आर ई एच दिनांक 28.03.1975 के तहत साधुराम के नाम इन्तकाल खातेदारी 483 तारीख 31.10.1979 को नायब तहसीलदार अलवर ने गलत तरीक पर दर्ज व स्वीकार किया गया। जिसका इल्म हम अपीलान्टान को तारीख 13.08.24 को हुआ इल्म होते हुए हम अपीलान्टान ने उसी दिन नकल इन्तकाल मिलने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर नकल इन्तकाल तारीख

अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

13.8.24 को मिली। जिससे बिला देरी अपील आज पेश की जा रही है। जिस देरी के बाबत प्रार्थना पत्र जेर दफा 5 कानून मियाद मय शपथपत्र अलग से पेश है। अपीलाण्टान ने अपील दायर करने में दीदोदानिस्ता देरी नहीं की है व उक्त देरी काबिल माफी है।

आराजी मुतनाजा हम अपीलान्टान के पिता ईसर उर्फ ईश्वर पुत्र मानसिंह की गैर खातेदारी की आराजी थी जिस ईसर उर्फ ईश्वर का शजरा निम्न है –

ईसर उर्फ ईश्वर पुत्र मानसिंह (मृतक)

|

जयकौर (मृतक),	रतनलाल,	रत्तीराम,	रामलाल,	रतनी,	बीना उर्फ सुक्की
बेवा	पुत्र	पुत्र	पुत्र	पुत्री	पुत्री

आराजी मुतनाजा पर हम अपीलान्टान बहैसियत गैर खातेदार के काबिज दखिल हैं व आराजी मुतनाजा पर इस समय भी काबिज दखिल हैं लेकिन साधुराम के नाम गलत तरीक पर आराजी मुतनाजा के खातेदारी हकूक इन्तकाल नंबर 483 गलत तरीक पर जारी किया है, साधुराम का स्वर्गवास हो गया है व साधुराम का इन्तकाल विरासत नंबर 742 आराजी मुतनाजा के बाबत गलत तरीक पर सरपंच ग्राम तूलेडा ने तारीख 07.05.2006 को साधुराम की बेवा व रैस्पाडेन्टान (कैलाश व सरोज) के नाम दर्ज व स्वीकार किया है। उक्त इन्तकाल विरासत नंबर 742 जो ग्राम पंचायत तूलेडा ने साधुराम के वारिसान के नाम दर्ज व स्वीकार किया है गलत तरीक पर दर्ज व स्वीकार किया है वक्त इन्तकाल विरासत ग्राम पंचायत का कोरम भी पूरा नही था महज सरपंच की मौजूदगी में ही उक्त इन्तकाल विरासत दर्ज व स्वीकार किया है। साधुराम का शजरा निम्न है –

साधुराम (मृतक)

|

चंदो (मृतक)	कैलाश	सरोज
बेवा	पुत्र	पुत्री

तहसीलदार अलवर ने अपने पत्र क्रमांक 14.06.2024 जो उपखण्ड अधिकारी अलवर के यहां प्रेषित किया था उसमें इस प्रकार अंकित था कि पटवारी हल्का तूलेडा एंव जांच भू. अ. नि. कस्बा ईसरा के दिनांक 26.04.24 तथा सम्बधित भू०अ०नि० द्वारा दिनांक 03.05.1979 को नामा. सं. 483 में धारा 42 का उल्लंघन हैं एंव काबिल खारिज के हैं लेकिन गलत तरीक पर तहत नायब तहसीलदार ने तारीख 31.10.1979 को मु. अलवर जरिये सनद पटटा क्रमांक 542/35 पुर्नवास/6 (41) 78--79 के तहत पटटा खातेदारी आराजी मुतनाजा का दर्ज व स्वीकार किया है। हम अपीलान्टान जाति से चमार हैं व अनुसूचित जाति का सदस्य है व आराजी मुतनाजा हम अपीलान्टान के पिता ईसर उर्फ ईश्वर के गैर खातेदारी की आराजी हैं व भू आवंटन के तहत आराजी मुतनाजा की गैर खातेदारी का पटटा साधुराम के नाम 'गलत तरीक पर जारी किया जिसका भू आवंटन अधिकारी को कोई हक व अधिकार नही था चूंकि आराजी मुतनाजा हम अपीलान्टान के पिता ईसर उर्फ ईश्वर की गैर खातेदारी की आराजी थी व हम अपीलान्टान के पिता ईसर उर्फ ईश्वर का स्वर्गवास हो गया हैं व उसकी बेवा जयकौर का भी स्वर्गवास हो गया हैं व हम अपीलान्टान आराजी मुतनाजा पर नेक नियती से काबिज दखिल है 'व हम अपीलान्टान के पिता ईसर उर्फ ईश्वर ने व ईसर उर्फ ईश्वर के मरने के बाद हम अपीलान्टान ने तहत अदालत से ईसर उर्फ ईश्वर की गैर खातेदारी पटटा आराजी मुतनाजा का खातेदारी पटटा लेने के लिए अनेको बार निवेदन किया लेकिन तहत अदालत ने कोई गौर नही किया व गलत तरीक पर हम अपीलान्टान के पिता ईसर उर्फ ईश्वर की आराजी मुतनाजा गैर खातेदारी का पटटा के बाबत साधुराम को गलत तरीक पर खातेदारी पटटा तारीख 31.10.1979 को देने में भारी भूल की है। जबकि उक्त आराजी मुतनाजा हम अपीलान्टान के पिता ईसर उर्फ ईश्वर जो जाति से चमार अनुसूचित जाति का सदस्य था अनुसूचित जाति के सदस्य की आराजी मुतनाजा स्वर्ण जाति के पक्ष में

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

गैर खातेदारी का पटटा जारी करने का कोई हक व अधिकार नही हैं लेकिन तहत अदालत ने गौर नही किया। लेकिन तहत अदालत इस बिन्दु पर गौर नही किया व भू आवंटन अधिकारी ने आराजी मुतनाजा की मौके पर कोई जांच नही की और ना ही भू आवंटन अधिकारी ने रेवेन्यू रिकॉर्ड के बाबत जानकारी की ना ही आराजी का कब्जा देखा लेकिन भू आवंटन अधिकारी ने गलत तरीक पर आराजी का गैर खातेदारी का पटटा साधुराम के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया व गैर खातेदारी के पटटे के आधार पर साधुराम को खातेदार पटटेदार आराजी मुतनाजा का गलत तरीक पर जारी किया हैं व तहत अदालत ने आराजी मुतनाजा का इन्तकाल खातेदारी दिनांक 31.10.1979 जरिये इन्तकाल नंबर 483 जारी की है।

आराजी मुतनाजा के साबिक खसरा नंबर 917 रकबा 5 बीघा जिसका हाल नंबर 1879 रकबा 1.23 हैक्टेयर वाके ग्राम तूलेडा तहसील अलवर कायम हुए हैं। इन्तकाल विरासत 742 आराजी मुतनाजा खसरा नंबर हाल 1879 रकबा 1.23 हैक्टेयर, आराजी मुतनाजा व अन्य आराजीयात 1880 रकबा 0.01 हैक्टेयर, 1881 रकबा 0.02 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 1.26 हैक्टेयर वाके ग्राम तूलेडा तहसील अलवर उक्त साधुराम के वारिसान ने मसीदन पत्नि रहीसा, जुहरी पत्नि रहीमा जाति मेव के पक्ष में इन्तकाल बय नंबर 967 तारीख 05.06.2007 उक्त इन्तकाल विरासत नंबर 967 जो ग्राम पंचायत तूलेडा ने महज बयनामा के आधार पर खरीददारान के नाम दर्ज व स्वीकार किया है वक्त इन्तकाल जो गलत तरीक पर दर्ज व स्वीकार किया है वक्त इन्तकाल बय ग्राम पंचायत का क्रोरम भी पूरा नही था महज सरपंच की मौजूदगी में ही उक्त इन्तकाल बय दर्ज व स्वीकार किया है।

आराजी मुतनाजा पर इस समय भी हम अपीलान्टान का कब्जा बदस्तूर चला आ रहा हैं उक्त इन्तकाल विरासत व इन्तकाल बय गलत तरीक पर दर्ज व स्वीकार किया हैं। हम अपीलान्टान के पिता ईसर उर्फ ईश्वर व हम अपीलान्टान की अदम मौजूदगी में इन्तकाल गैर खातेदारी से खातेदार साधुराम के नाम नंबर 483 गलत तरीक पर दर्ज व स्वीकार किया हैं जबकि आराजी मुतनाजा पर इस समय भी मिन अपीलान्टान का कब्जा मौके पर मौजूद हैं। हम अपीलान्टान के पिता ईसर उर्फ ईश्वर आराजी मुतनाजा पर अरसे दराज से नेक नियती से काबिज दखिल हैं व उनके स्वर्गवास होने के बाद आराजी मुतनाजा पर हम अपीलान्टान नेक नियती से काबिज दखिल हैं व इस समय भी आराजी मुतनाजा पर हम अपीलान्टान का कब्जा चला आ रहा है व इसी आधार पर हम अपीलान्टान के पिता ईसर उर्फ ईश्वर के नाम पटटा गैर खातेदारी जारी किया हैं, हम अपीलान्टान के पिता ईसर उर्फ ईश्वर व हम अपीलान्टान को आराजी मुतनाजा के बाबत हकूक खातेदारी प्राप्त हो गये हैं।

अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्टान मंजूर फरमाया जाकर तजबीज अदालत मातहत तारीख 31.10.1979 मंसुख फरमायी जावे व साधुराम को आराजी मुतनाजा का पट्टा खातेदारी का इन्तकाल नंबर 483 दर्ज व स्वीकार किया है है व उक्त इन्तकाल के तहत जो भी इन्तकाल दर्ज व स्वीकार किये है वो सभी इन्तकाल निरस्त फरमाये जावे चूंकि आराजी मुतनाजा हम अपीलान्टान की गैर खातेदारी की आराजी हैं व हम अपीलान्टान जाति से चमार हैं चमार की आराजी स्वर्ण जाति के नाम पटटा खातेदारी आवंटन के तहत जारी नही किया जा सकता।

अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा बहस के दौरान कथन किया है कि अपीलांटान ने यह अपील नायब तहसीलदार अलवर के आदेश दिनांक 31.10.1979 के खिलाफ पेश की है, जिसके द्वारा आराजी गत खसरा नंबर 598 रकबा 5 बीघा हाल खसरा नंबर 917 रकबा 5 बीघा वाके ग्राम तूलेडा तहसील व जिला अलवर का इंतकाल संख्या 483 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के नाम खातेदारी का स्वीकृत हुआ है। उक्त इंतकाल संख्या 483 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता स्व० श्री साधूराम के नाम नायब तहसीलदार द्वारा खातेदारी मुताबिक सनद पट्टा

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

संख्या 542/35 पुर्न० 16(41) 78, 79 दिनांक 24.03.1979 के आधार पर स्वीकार कने का निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी साधूराम जी को पुराना कब्जा चला होने के कारण जरिये सनद पट्टा 542/35 दिनांक 24.03.1979 आवंटन की गई थी। अपीलांटान ने रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता स्व० श्री साधूराम के हक में उपरोक्त सनद पट्टा संख्या 542/35 पुर्न० दिनांक 24.03.1979 को चैलेंज नहीं किया है यानि उसके खिलाफ अपीलांटाने दारान क द्रखारान कोई अपील आदि नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में वर्तमान अपील जो उक्त इंतकाल संख्या 483 दिनांक 31.10.79 नायब तहसीलदार के निर्णय के खिलाफ पेश की गई है, विधि अनुसार चलने योग्य नहीं है। क्योंकि जब तक साधूराम जी के हक में जारी सनद पट्टा कायम है, उसके आधार पर उक्त इंतकाल के खिलाफ अपील पेश करने का अधिकार कानूनन अपीलांटान को नहीं है। इसलिए अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है। वैसे भी यह अपील 46 वर्ष बाद पेश की गई है, जो मियाद बाहर होने के कारण भी काबिल खारिज है।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पिता साधूराम का स्वर्गवास होने के बाद उनकी विरासत का इंतकाल संख्या 742 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 एवं उनकी माता चन्द्रो के नाम स्वीकार हुआ और जमाबन्दी में खातेदारी का अंकन आने के बाद चन्द्रो पत्नि स्व० श्री साधुराम, कैलाश चन्द, सरोज पि० साधूराम ने विवादित आराजी का बेचान जरिये बयनामा दिनांक 29.03.2007 मसीदन पत्नि रहीसा, जुहरी पत्नि रहीमा जाति मेव को कर दिया और कब्जा संभलवा दिया और उनके नाम भी इंतकाल दर्ज व मंजूर होकर राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में खातेदारी की हैसियत से अंकन आ चुका है। उपरोक्त बयनामा एवं राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे अंकन की अपीलांटान को शुरू से ही बखूबी जानकारी है। जिस तथ्य को अपीलांटान ने इस अपील के पैरा संख्या 11 में स्वीकार भी हो चुका है। ऐसी स्थिति में जब विवादित आराजी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा दीगर व्यक्तियों को विक्रय करके कब्जा हस्तान्तरित किया जा चुका है तो अपीलांटान को उक्त क्रेतागण के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। मिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के खिलाफ विधि अनुसार यह अपील चलने योग्य नहीं है और बेसूद हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपील खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्टान की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम प्रा०पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.10.1979 के विरूद्ध दिनांक 16.08.2024 को पेश की गयी है जो करीब 45 साल के विलम्ब से पेश की गई है। अपीलाण्ट्स का यह तर्क स्वीकार्य है कि उन्हें जानकारी 13.08.2024 को हुई। अनुसूचित जाति के हितों के संरक्षण और सामाजिक न्याय की दृष्टि से देरी को माफ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। माननीय राजस्व मण्डल राज० अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पूर्ण।

विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्टान ने तर्क प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि अपीलाण्टान के पिता ईसर उर्फ ईश्वर (अनुसूचित जाति) की गैर–खातेदारी भूमि थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत अनुसूचित जाति (SC) के सदस्य की भूमि को सामान्य जाति (स्वर्ण जाति) के व्यक्ति को अंतरित/आवंटित नहीं किया जा सकता। साधुराम ब्राह्मण जाति के थे, अतः उनके पक्ष में जारी पट्टा और तस्दीकशुदा इंतकाल संख्या 483 विधि विरुद्ध है। मौके पर कब्जा आज भी अपीलाण्टान का ही है। साधुराम की मृत्यु उपरांत इंतकाल विरासत सं. 742 और तत्पश्चात अन्य व्यक्तियों (मसीदन आदि) को किए गए बेचान का इंतकाल सं. 967 भी अवैध हैं, क्योंकि मूल इंतकाल 483 ही अवैध था।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेंट्स ने तर्क दिया कि अपील 46 वर्ष की अत्यधिक देरी से प्रस्तुत की गई है, जो मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। मूल पट्टा को चुनौती नहीं दी गई है, केवल इंतकाल को चुनौती दी गई है। भूमि वर्ष 2007 में तृतीय पक्ष (मसीदन व जुहरी) को बेचान की जा चुकी है, जो इस अपील में पक्षकार नहीं हैं। अतः अपील चलने योग्य नहीं है एवं खारिज की जावे।

उभय पक्षों के तर्कों को सुना गया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों से यह निर्विवाद है कि अपीलाण्ट अनुसूचित जाति (चमार) के सदस्य हैं और प्रश्नगत भूमि मूल रूप से उनके पिता ईसर उर्फ ईश्वर के अधिकार क्षेत्र गैर–खातेदारी में थी। रेस्पोन्डेंट्स के पिता साधुराम ब्राह्मण जाति के थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करती है कि अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि का अंतरण/खातेदारी अधिकार किसी गैर–अनुसूचित जाति के व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। ऐसा कोई भी अंतरण या पट्टा विधि की दृष्टि में "प्रारंभ से ही शून्य" होता है। तहसीलदार अलवर ने भी यह माना है कि नामांतरण सं. 483 में धारा 42 का उल्लंघन हुआ है। रेस्पोन्डेंट्स का तर्क है कि भूमि बेचान की जा चुकी है। चूँकि साधुराम के पक्ष में किया गया मूल इंतकाल सं. 483 और पट्टा ही धारा 42 के उल्लंघन के कारण अवैध है, अतः साधुराम या उनके वारिसान को भूमि का वैध स्वत्व कभी प्राप्त नहीं हुआ। जब विक्रेता के पास ही वैध स्वत्व नहीं था, तो क्रेतागण (मसीदन आदि) को भी कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। अतः बाद के इंतकाल विरासत सं. 742 और बैनामा इंतकाल सं. 967 स्वतः ही निष्प्रभावी सिद्ध हो जाते हैं।

समस्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा दिनांक 31.10.1979 को पारित आदेश एवं तस्दीकशुदा इंतकाल संख्या 483 स्पष्ट रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अवैध एवं शून्य है। अनुसूचित जाति की भूमि को विधि विरुद्ध तरीके से सामान्य जाति के व्यक्ति के नाम दर्ज करना गंभीर त्रुटि है।

अतः अपीलाण्ट्स की अपील स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, अलवर द्वारा पारित निर्णय/आदेश दिनांक 31.10.1979 को निरस्त किया जाता है। विवादित आराजी खसरा नंबर हाल 1879 (पुराना 917) वाके ग्राम तूलेडा के सम्बन्ध में इंतकाल संख्या 483 के आधार पर बाद में दर्ज हुए इंतकाल विरासत संख्या 742 (साधुराम के वारिसान के नाम) तथा इंतकाल बैनामा संख्या 967 (क्रेता मसीदन आदि के नाम) को भी, मूल आधार समाप्त होने के कारण, निरस्त घोषित किया जाता है। तहसीलदार अलवर को निर्देशित किया जाता है कि राजस्व रिकॉर्ड में उक्त अवैध इंद्राजात को विलोपित/कलमजन कर, भूमि को पूर्व की भांति अपीलाण्ट्स के पिता (मूल खातेदार/गैर–खातेदार) ईसर उर्फ ईश्वर के वारिसान के नाम नियमानुसार दर्ज/अमलदरामद करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 22.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रथम)
अलवर (राज0)